भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3614

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

अपंजीकृत शेल कंपनियाँ

3614. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत शेल कंपनियों के रूप में चिह्नित तथा कंपनियों के रजिस्टर से अपंजीकृत/नाम विलोपित की गई कंपनियों की राज्य-वार एवं वर्ष-बार कुल संख्या क्या है;

(ख) ऐसी शेल कंपनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने तथा शेल कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई नए नियामकीय उपाय, प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप अथवा प्रवर्तन संबंधी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग कर वित्तीय धोखाधड़ी का शुरू में ही पता लगाने की दिशा में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): 'शेल कंपनी' पद को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कंपनियों और उनके निदेशकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित अपेक्षित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में वित्तीय जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में लेखा-पुस्तकों एवं सांविधिक रजिस्टरों का रख-रखाव, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना तथा समुचित अनुमोदन के पश्चात् उन्हें रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण एक

स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जोखिम प्रबंधन, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की सूचना बोर्ड की रिपोर्ट में दिया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (लेखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के माध्यम से अधिक प्रभावी और प्रकटीकरण-आधारित जवाबदेही और डेटा-आधारित नियामक जांच की दिशा में निर्देशित संरचित कारपोरेट जानकारी के संग्रह के लिए वित्तीय विवरण और निदेशक की रिपोर्ट दाखिल करने हेतु संशोधित एओसी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र, जहां भी जनहित में आवश्यक हो, निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 के माध्यम से एमजीटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एमसीए21 पर दाखिल वार्षिक विवरणी एवं गवर्नेंस संबंधी सूचना के संरचित प्रकटीकरण में सुधार करना है।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा उन चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92, 96, 99, 137 तथा 129 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वार्षिक विवरणी और/या वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफल रहती हैं। कंपनी (कंपनियों के नाम रजिस्टर से हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 248(1), के तहत कंपनियों के नाम रजिस्ट्री से हटाने की कार्रवाई भी की जाती है।

प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के संबंध में, एमसीए21 वी3 वेब-आधारित फाइलिंग पर कार्य करता है, जिसमें पूर्व-भरित मास्टर डाटा के साथ वास्तविक समय में सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आँकड़ों के मिथ्याकरण की संभावना कम होती है।
